

विषय सूची

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विवरण	प्रष्ठ क्रमांक
	प्राक्कथन	v
राज्य वित्त वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या-1	विशेषताएं	1
	राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था	2
	वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण	5
	वित्तीय प्रतिवेदन	7
राजस्व क्षेत्र वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-1	मुख्य अंश	8
	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	10
	निष्पादन लेखापरीक्षा	
	वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली	11
	मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण	11
	लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणाम	12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सामान्य,	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन	15

सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-2	निष्पादन लेखापरीक्षा	
	मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा	17
	मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा	22
	लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियां	28
आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-3	निष्पादन लेखापरीक्षा	
	मध्यप्रदेश में सड़कों का विकास	30
	थीमेटिक अध्ययन	
	वैनगंगा बेसिन में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	32
	रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना का वितरण नेटवर्क	34
	विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा	
	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नर्मदा घाटी विकास विभाग)	37
	लेनदेन लेखापरीक्षा	39

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4	विशेषताएं	44
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	
	मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन	45
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	48
	शासकीय विभागों की कार्य पद्धति	
	मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा. एवं प.क.) की लेखापरीक्षा	50
	मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित संस्कृति विभाग की लेखापरीक्षा	53
	लेनदेन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष	55

प्राक्कथन

इस संक्षेपिका में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित ३१ मार्च २०१२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये राज्य वित्त, राजस्व क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र), आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) एवं सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषयवस्तु एक दृष्टि में प्रस्तुत की गई है। इन प्रतिवेदनों में मध्यप्रदेश सरकार, सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों के वित्तीय लेनदेनों एवं मध्यप्रदेश सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा पर मुख्य निष्कर्ष समाविष्ट किए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्यपाल की ओर अग्रेषित करते हैं जो उन्हें विधानसभा में पटल पर रखवाते हैं।

विधानसभा में प्रस्तुत राज्य सरकार के लेनदेनों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य वित्त, राजस्व क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) एवं सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के संबंध में लोक लेखा समिति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) के संबंध में सार्वजनिक उपक्रम समिति की ओर प्रेषित माने जाते हैं। सरकारी विभागों को समस्त लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः ही की गई कार्यवाही से संबंधित टिप्पणी को समिति को प्रस्तुत करना चाहिए। समितियां विस्तृत जांच हेतु कतिपय कंडिकाओं/समीक्षाओं का चयन करती हैं जिसके उपरांत उनके निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं से युक्त प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कंडिकाओं/समीक्षाओं के प्रारूप

संबंधित विभाग के सचिव की अभ्युक्तियों हेतु सदैव उनकी ओर अग्रेषित किए जाते हैं जिससे कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व उसमें सरकार के विचार समाविष्ट किए जा सकें। वित्त विभाग ने निर्धारित किया है कि प्रारूप कंडिकाएं यथासंभव शीघ्र निर्वर्तित की जानी चाहिए तथा संबंधित विभाग की टिप्पणियां छः सप्ताह से अनधिक की अवधि में लेखापरीक्षा को सूचित कर दी जानी चाहिए। बड़ी संख्या में प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में प्रारूप कंडिकाओं पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने हेतु विभागों ने संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

इस संक्षेपिका में लेखापरीक्षा में समाविष्ट अधिक महत्वपूर्ण मामलों को केवल सारांश में प्रस्तुत किया गया है। इन दस्तावेजों की विषयवस्तु जहां तक संभव हुआ, मूल प्रतिवेदनों के समतुल्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है जबकि प्राधिकृत तथ्यों एवं आंकड़ों हेतु मूल प्रतिवेदनों को देखा जाना चाहिए। विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु जिन अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है उनके नाम एवं दूरभाष क्रमांक पिछले आवरण के अन्तर्पृष्ठ पर दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)
वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या - 1

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ और वित्तीय प्रतिवेदन पर तीन अध्याय समाविष्ट हैं । लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार इस संक्षेपिका में सम्मिलित किया गया है।

विशेषताएं

- कर राजस्व व करेतर राजस्व के अंतर्गत वास्तविक वसूलियां तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण तथा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक के प्रक्षेपणों की तुलना में उच्चतर थीं।
- 2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज अदायगियों एवं राज सहायताओं पर समग्र व्यय योजनेतर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था।
- मार्च 2012 के अन्त तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, सहकारी समितियों, आदि में किये गये निवेश ₹ 13,184 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 37.98 करोड़) लगभग 0.29 प्रतिशत था जो कि 2011-12 के दौरान 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर उधारी के विरुद्ध था।
- 2011-12 के दौरान किए गए ₹ 135.10 करोड़ तथा 1997-98 से 2000-2001 एवं 2002-03 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि से संबंधित ₹ 2,879.84 करोड़ के आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन आवश्यकता थी।
- 31 मार्च 2012 को 37 विभागों के 47 मुख्य शीर्षों के संबंध में कुल राशि ₹ 31,417.72 करोड़ के 40405 उपयोगिता प्रमाण-पत्र शेष थे ।

➤ ₹ 46.25 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोगों इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

राजस्व के मुख्य स्रोत

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2007-08 में ₹ 30,689 करोड़ से 2011-12 में ₹ 62,604 करोड़ तक 21 प्रतिशत की औसत वार्षिक संवृद्धि दर पर सुसंगत वृद्धि हुई। जबकि 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 55 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधनों से आया था जिसमें कर राजस्व (43 प्रतिशत) एवं करेतर राजस्व (12 प्रतिशत) समाविष्ट था, शेष 45 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरणों एवं सहायता अनुदानों का संयुक्त अंशदान था। कर राजस्व में 2010-11 में ₹ 21,419 करोड़ से 2011-12 में ₹ 26,973 करोड़ तक की वृद्धि हुई। करेतर राजस्व में 2010-11 में ₹ 5,720 करोड़ से 2011-12 में ₹ 7,483 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जिसके मुख्य कारण, ब्याज प्राप्तियों (₹ 1,273 करोड़) एवं शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 357 करोड़) के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थी।

राजकोषीय देयताओं में वृद्धि

2007-08 में राज्य की राजकोषीय देयताओं में ₹ 55,311 करोड़ से 2011-12 में ₹ 81,757 करोड़ तक की वृद्धि हुई। ये देयताएं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 25.92 प्रतिशत थी जो 2011-12 के अन्त में राजस्व प्राप्तियों की 1.3 गुना और राज्य के अपने संसाधनों की 2.37 गुनी थी।

वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतानों, पेंशन तथा राजसहायताओं पर आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत व्यय किया गया

2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 14,113 करोड़), पेंशन (₹ 4,389 करोड़), ब्याज भुगतानों (₹ 5,300 करोड़) तथा राजसहायताओं (₹ 2,926 करोड़) पर सम्मिलित रूप से व्यय, ₹ 36,677 करोड़ के आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का 73 प्रतिशत था।

ब्याज भुगतान

2011-12 के दौरान ₹ 5,300 करोड़ के ब्याज अदायगियां राजस्व प्राप्तियों के 8.47 प्रतिशत लेखांकित किए गए और जो 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय के 10.06 प्रतिशत था।

सरकारी कम्पनियों, निगमों, अन्य निकायों आदि को दिये गये ऋणों की वसूली

2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली ₹ 9,123 करोड़ थी। विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक वसूलियों में ₹ 9,089 करोड़ की वृद्धि, मुख्य रूप से विद्युत परियोजनाओं को दिए गए कर्ज के कारण थी।

अपूर्ण परियोजनायें

28 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 9,128.68 करोड़ (मार्च 2012) का व्यय अलाभकारी रहा इनमें से 23 परियोजनाएं सरकार द्वारा पुनरीक्षित की गई जिससे ₹ 9,390.04 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

निवेशों पर प्रतिलाभ

मार्च 2012 के अन्त तक सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी समितियों, आदि में किए गए निवेश ₹ 13,184 करोड़ पर प्रतिलाभ (₹ 37.98 करोड़) लगभग 0.29 प्रतिशत था जो कि 2011-12 के दौरान 6.74 प्रतिशत की औसत दर पर उधारी के विरुद्ध था।

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय असन्तुलन तथा संसाधनों के उपयोग का प्रबन्धन

2011-12 के दौरान राज्य ने राजस्व आधिक्य को लगातार बनाए रखा। राजस्व आधिक्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता में 2010-11 में 2.63 प्रतिशत से 2011-12 में 3.14 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जो कि बजट अनुमान के 1.45 प्रतिशत से अधिक था। राजकोषीय घाटा से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में 2010-11 में 2.02 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में 1.83 प्रतिशत तक की कमी आई, जो बजट अनुमान में निर्धारित सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के मानदण्ड के भीतर ही रही।

व्यय प्रबन्धन

राज्य के व्यय प्रतिरूप (पैटर्न) से प्रकट हुआ कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में 2011-12 के दौरान कुल व्यय के 68 प्रतिशत के प्रभावी अनुपात का अंशदान जारी रहा। 2011-12 में ₹ 36,677 करोड़ का योजनेत्तर राजस्व व्यय, तेरहवें वित्त आयोग के मानकीय निर्धारित स्तर से अधिक था लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण पत्रक में किए गए प्रक्षेपण से कम था। मध्य प्रदेश में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय और शिक्षा क्षेत्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को दी गयी प्राथमिकता, 2011-12 में पर्याप्त नहीं थी क्योंकि कुल व्यय से उनके अनुपात सामान्य संवर्ग के राज्यों के अनुपात

की तुलना में कम थे। सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत सरकार द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को वृहत्तर राजकोषीय प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है।

देयताओं का प्रबन्धन

कुल देयताओं से सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा के भीतर था। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार इनमें 2014-15 के अंत तक 25 प्रतिशत की कमी लाना है। परिणामतः, तेरहवें वित्त आयोग के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु देयताओं की वृद्धि में रोकथाम के लिए विवेकपूर्ण कर्ज प्रबन्धन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2011-12 के दौरान, आंतरिक ऋण, केन्द्र सरकार से कर्ज एवं अन्य दायित्वों के पुनर्भुगतान तथा उन पर ब्याज नये कर्ज प्राप्तियों का 95 प्रतिशत था जिससे परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु बहुत कम निधियां उपलब्ध थी।

कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां तथा भुगतान

कर्ज तथा अग्रिमों पर सरकार द्वारा 2011-12 के दौरान 6.51 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज की तुलना में 6.74 प्रतिशत की दर से उधारियों पर औसत ब्याज पर किया गया भुगतान अधिक था।

वित्तीय प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

समग्र स्थिति

2011-12 के दौरान ₹ 96,187 करोड़ के कुल

प्रावधान के विरुद्ध ₹ 81,134 करोड़ का व्यय किया गया था। 2011-12 के दौरान ₹ 21,843 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 15,053 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। मुख्य बचतें वित्त, भू-राजस्व, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जल संसाधन, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर), बुन्देलखण्ड पैकेज तथा विधि और विधायी कार्य विभागों इत्यादि से संबंधित थी।

**प्रावधान से आधिक्य
जिनके नियमन की
आवश्यकता है**

2011-12 के दौरान किए गए ₹ 135.10 करोड़ तथा 1997-98 से 2000-2001 एवं 2002-03 से 2006-07 एवं 2008-09 से 2010-11 तक की अवधि से संबंधित ₹ 2,879.84 करोड़ के आधिक्य व्यय का नियमितीकरण हेतु संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत लंबित थी।

**लोक लेखे में निधियों का
स्थानान्तरण एवं मार्च में
व्यय की अत्यधिकता**

₹ 584.33 करोड़ की राशि लोक लेखे के सिविल जमा में अन्तरित की गई थी और ₹ 4,872 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पित किये गये थे । ₹ 358 करोड़ का व्यय विनियोग विधेयक में आवश्यक प्रावधान किये बिना किया गया था । वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की अत्यधिकता भी थी।

**समर्पित न की गई
प्रत्याशित बचतें तथा
वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य
दिवस में किया गया
समर्पण**

अनेक प्रकरणों में, प्रत्याशित बचत या तो समर्पित नहीं की गई अथवा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन समर्पित की गई जिसके कारण अन्य विकासीय कार्यों के लिये इन निधियों के उपयोग की कोई गुंजाइश नहीं बची।

**अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग
एवं समर्पण**

40 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन/समर्पण अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान से बचत/आधिक्य हुए।

वित्तीय प्रतिवेदन

**स्वायत्तशासी निकायों द्वारा
उपयोगिता प्रमाण पत्र,
लेखाओं की प्रस्तुति में
विलम्ब और हानियों,
दुर्विनियोगों इत्यादि के
प्रकरणों का निराकरण**

31 मार्च 2012 को ₹ 31,418 करोड़ के अनुदानों के संबंध में 40405 उपयोगिता प्रमाण पत्र शेष थे। 44 स्वायत्तशासी निकायों ने अपनी स्थापना के पाँच से 13 वर्षों के पश्चात भी लेखे प्रस्तुत नहीं किये और तीन स्वायत्तशासी निकायों ने वर्ष 2003-04 से 2010-11 तक के लेखे नौ से 84 महीने देरी से प्रस्तुत किये। ₹ 46.25 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के प्रकरणों के निवर्तन की अंतिम कार्यवाही लंबित थी।

व्यक्तिगत जमा लेखे

मध्य प्रदेश कोष संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए मार्च 2012 की समाप्ति पर ₹ 2,007 करोड़, 886 व्यक्तिगत जमा लेखे में रोक कर रखे गये थे।

**प्राप्ति एवं व्यय का
मिलान न होना**

2011-12 के लिये पांच विभागों के नियंत्रण अधिकारियों के संबंध में ₹ 2,808 करोड़ के व्यय का लेखा-मिलान न होना और ₹ 71,753 करोड़ की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियों के 98.56 प्रतिशत का लेखा-मिलान न होना भी ध्यान में आया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(राजस्व क्षेत्र)

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-1

इस प्रतिवेदन में करों के अनिर्धारण/कम निर्धारण तथा वसूली न होने/कम वसूली आदि पर विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली से सम्बंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं । इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखा परीक्षा "वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली एवं मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" को भी सम्मिलित किया गया है ।

मुख्य अंश :

- 1,70,881 प्रकरणों से सम्बंधित बकाया राशि ₹ 288.46 करोड़ (1 अप्रैल 2011 को लंबित बकाया राशि का 54.44 प्रतिशत) पाँच वर्ष से अधिक समय से वसूली हेतु लंबित थी ।
- कुर्क सम्पत्तियों को नीलाम करने में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 व्यवसायों के प्रकरण में ₹ 7.11 करोड़ की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई ।
- 31 कार्यालयों में कर की गलत दर लागू किये जाने के कारण 50 व्यवसायों से 50 प्रकरणों में ₹ 3.67 करोड़ के कर की कम प्राप्ति हुई ।
- 37 कार्यालयों में 60 व्यवसायों के विरुद्ध 67 प्रकरणों में ₹ 2.04 करोड़ के प्रवेश कर ₹ 79 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित का अनारोपण हुआ/कम आरोपण हुआ ।
- विभाग द्वारा बीआईएफआर के पास लम्बित प्रकरणों के सम्बंध में, जिनमें ₹ 3.29 करोड़ देय राशि की वसूली अंतर्निहित थी, संशोधित

ऋण पुनर्वास योजना (एम.डी.आर.एस.) के प्रस्तुतीकरण की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

- विभाग द्वारा शोधक प्रतिभूतियों सहित बैंक गारंटी/बंध पत्र प्राप्त किये बगैर अनियमित निर्यात/परिवहन की अनुमति दिये जाने से स्पिरिट/विदेशी मदिरा जिसमें ₹ 875.38 करोड़ का आबकारी शुल्क अंतर्निहित था, असुरक्षित रही। अभिस्वीकृति प्राप्त न की गई मदिरा पर ₹ 20.25 करोड़ के आबकारी शुल्क की वसूली भी नहीं की गई।
- मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर लायसेंसधारकों पर ₹ 9.90 करोड़ की न्यूनतम शास्ति अधिरोपित एवं वसूल नहीं की गई।
- सैन्य केन्टीन थोक लायसेंस धारक से सैन्य केन्टीन फुटकर लायसेंसधारकों को विदेशी मदिरा के प्रदाय पर ₹ 2.08 करोड़ की आबकारी शुल्क कम आरोपित किया गया।
- 17 कार्यालयों में 1,652 वाहनों के सम्बंध में ₹ 7.16 करोड़ के कर एवं शास्ति की वसूली नहीं की गई।
- छः कार्यालयों में व्यवसाइयों से ₹ 1.82 करोड़ के व्यापार शुल्क की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।
- मई 2010 में ग्वालियर विकास प्राधिकरण को दी गई शासकीय भूमि की प्रीमियम तथा भू-भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.79 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई।
- 25 कार्यालयों में बाजार मूल्य का गलत निर्धारण/निर्णीत न किये जाने के परिणामस्वरूप 566 प्रकरणों में ₹ 7.62 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

- पट्टा विलेखों/पट्टा सह विक्रय विलेखों पर ₹ 1.28 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।
- सात उपभोक्ताओं के प्रकरणों में खानों पर शुल्क की गलत दरें लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 35 लाख के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई ।
- 12 कार्यालयों में 48 खनन पट्टाधारकों से ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर के रूप में ₹ 70.53 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।
- संविदा राशि का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण ₹ 3.22 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई ।

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष के दौरान राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ विगत वर्ष के ₹ 51,854.18 करोड़ के विरुद्ध ₹ 62,604.08 करोड़ थीं । वर्ष 2011-12 में अपने स्रोतों से विगत वर्ष कर राजस्व ₹ 21419.33 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 5,719.77 करोड़ की तुलना में राजस्व राशि ₹ 34456.17 करोड़ (55 प्रतिशत) क्रमशः ₹ 26,973.44 करोड़ कर राजस्व एवं ₹ 7,482.73 करोड़ कर भिन्न राजस्व प्राप्त हुआ । शेष 45 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश के रूप में प्राप्त हुआ ।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में ₹ 247.82 करोड़ की वित्तीय प्रभाव से सन्निहित निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कंडिकार्यें सम्मिलित है विभागों/शासन ने ₹ 115.54 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है, जिसमें से ₹ 34.05 लाख की वसूली की जा चुकी है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली

*वसूली कार्यवाही
प्रारम्भ करने में
विलम्ब*

मांग पत्रों के जारी नहीं किये जाने/विलम्ब से जारी किये जाने/मांग पत्रों के जारी करने में विलम्ब या आर.आर.सी. के जारी होने/संस्थापन में विलम्ब के कारण वसूली की कार्यवाही चार वर्षों तक विलम्बित हुई। जिनमें ₹ 2.86 करोड़ की बकाया राशि अंतर्निहित थी।

*कुर्की आदेश जो
सम्पत्ति जप्त किये
जाने का आदेश है,
का जारी नहीं किया
जाना*

6 प्रकरणों में मांग पत्र जारी किये जाने या आर.आर.सी. के संस्थापन के बाद 6 प्रकरणों में कुर्की वारंट जारी नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 62.12 लाख की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

*जब्त सम्पत्ति के
नीलामी में विलम्ब के
कारण निर्धारित कर
के बकाया की वसूली
नहीं होना।*

जब्त सम्पत्तियों को नीलाम करने में असामान्य विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 व्यवसाइयों के प्रकरण में ₹ 7.11 करोड़ की देय राशियों की प्राप्ति नहीं हुई।

मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण

*मदिरा के अनियमित
प्रदाय पर शुल्क की
प्राप्ति न होना*

इस तथ्य के बावजूद, कि मदिरा दुकानों के लायसेंसधारकों ने निर्धारित समय के भीतर ₹ 1.20 करोड़ की पाक्षिक लायसेंस फीस/वार्षिक लायसेंस फीस की अंतिम किस्त

जमा नहीं की थी, 143 लायसेंसधारकों को मदिरा प्रदाय की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ शुल्क से अंतर्निहित मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ।

**अमान्य छीजन पर
शास्ति का अनारोपण**

मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर लायसेंसधारकों से ₹ 9.90 करोड़ की न्यूनतम शास्ति अधिरोपित एवं वसूल नहीं की गई।

लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणाम

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को कंडिकाओं के रूप में सम्मिलित किया गया है

वाणिज्यिक कर

**टर्न ओवर का गलत
निर्धारण**

₹ 42.65 करोड़ के टर्न ओवर का निर्धारण न किये जाने के परिणामस्वरूप ब्याज/शास्ति सहित ₹ 2.82 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

**अमान्य आगत कर
छूट की स्वीकृति**

आगत कर छूट की अनियमित अनुमति देने के कारण 15 व्यवसायों से ₹ 87.18 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।

वाहनों पर कर

**वाहनों पर वाहन कर
एवं शास्ति की वसूली
न होना**

1,652 वाहनों पर ₹ 4.03 करोड़ के वाहन कर तथा ₹ 3.13 करोड़ की शास्ति का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया और न ही विभाग द्वारा इसका आरोपण किया गया जिसके

परिणामस्वरूप ₹ 7.16 करोड़ के शासकीय राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

व्यापार फीस की वसूली न होना/कम वसूली होना

व्यापारियों द्वारा या तो वांछित व्यापार फीस जमा नहीं की गई थी या उस निर्धारित राशि से कम जमा की गई थी जो केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 में उल्लिखित है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.82 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों पर संचालित लोकसेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

कराधान प्राधिकारी अधिनियम के अनुसार शास्ति सहित कर की वसूली करने के लिए अखिल भारतीय पर्यटक अनुज्ञा पत्रों पर संचालित उन वाहनों का पता लगाने में विफल रहे।

जिन्हें अप्रचालित घोषित नहीं किया गया था इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.28 लाख के कर एवं ₹ 6.77 लाख की शास्ति की प्राप्ति नहीं हुई।

भू-राजस्व

प्रीमियम एवं भू-भाटक का अवनिर्धारण

विभाग ने ग्वालियर विकास प्राधिकरण को पट्टे पर दी गई भूमि का वाणिज्यिक तथा आवासीय उद्देश्यों हेतु आवंटित भूमि पर लागू दरों से मूल्यांकन किया। प्रीमियम एवं भू-भाटक के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 7.79 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण/प्राप्ति हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

*बाजार मूल्य का गलत
अवधारण/प्रकरणों का
निराकरण न होना*

25 कार्यालयों में 566 प्रकरणों में बाजार मूल्य का गलत निर्धारण/निर्णीत न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 7.62 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं हुई।

*पट्टा विलेखों/पट्टा
सह विक्रय विलेखों पर
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन
फीस का कम आरोपण*

पट्टा विलेखों/पट्टा सह विक्रय विलेखों के 28 दस्तावेजों पर ₹ 1.28 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

अन्य कर प्राप्तियाँ

*विद्युत शुल्क की कम
वसूली के कारण राजस्व
की हानि*

खानों पर विद्युत शुल्क की गलत दर लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 35 लाख के विद्युत शुल्क की कम वसूली हुई।

खनन प्राप्तियाँ

*संविदा राशि का पुनरीक्षण
न करने के कारण राजस्व
की कम वसूली*

141 व्यापारिक खदान ठेकेदारों से संविदा राशि का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण ₹ 3.22 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

*ग्रामीण अवसंरचना तथा
सड़क विकास कर की
वसूली न होना*

48 खनन पट्टाधारकों से सड़क विकास कर के अवनिर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 70.53 करोड़ के कर की प्राप्ति नहीं हुई।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र)
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-2

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निकायों के लेन-देनों की नमूना जाँच में दृष्टिगत हुए 8 प्रारूप कण्डिकाओं (फॉलो अप क्रिया कलाप पर एक कंडिका को शामिल करके) के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम पर निष्पादन समीक्षा भी सम्मिलित है। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार है

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 द्वारा नियंत्रित होती है। सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखापरीक्षक करते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधायतों द्वारा नियंत्रित की जाती है। 31 मार्च 2012 को मध्यप्रदेश राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रम (51 कम्पनियां तथा 4 सांविधिक निगम) और 09 अकार्यशील उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें 0.58 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2012 तक अपने अद्यतन अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार 2011-12 में ₹ 37,949.25 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 12.03 प्रतिशत के बराबर है। यह व्यवसाय अर्थव्यवस्था में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्वाह की गई महत्वपूर्ण भूमिका की ओर इंगित करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2012 को सार्वजनिक क्षेत्र के 64 उपक्रमों में निवेश (पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 33511.25 करोड़ रुपये था। इसमें 2006-07 से

₹ 20537.35 करोड़ रुपये में 63.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत क्षेत्र में 2011-12 में कुल निवेश की 90.24 प्रतिशत के लगभग लेखांकित की गई। सरकार ने 2011-12 के दौरान समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 8874.74 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

वर्ष 2011-12 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये लेखाओं के अनुसार 30 सितम्बर 2012 तक अद्यतन सार्वजनिक क्षेत्र के 55 कार्यशील उपक्रमों में से सार्वजनिक क्षेत्र के 32 उपक्रमों ने ₹ 190.08 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के 18 उपक्रमों ने ₹ 2487.49 करोड़ की हानि उठायी। शेष पाँच कम्पनियों ने अपने प्रथम लेखे नहीं दिये थे। सार्वजनिक क्षेत्र कार्यशील उपक्रमों में संचयी हानि ₹ 15348.27 करोड़ रुपये थी।

हानि का कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति में विभिन्न प्रकार की कमियों का होना बताया गया। नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से प्रकट हुआ कि, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ₹ 1179.91 करोड़ रुपये की हानियों तथा ₹ 218.95 करोड़ रुपये के निष्फल निवेश पर अपेक्षाकृत अच्छे प्रबंधन से नियंत्रण पाया जा सकता था। इस प्रकार कार्यपद्धति में सुधार तथा हानियों को न्यूनतम/परिहार की जबरदस्त गुंजाइश थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल तभी कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते थे जब वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में व्यवसायीकरण एवं उत्तरदायित्वता की जरूरत है।

लेखाओं की गुणवत्ता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान अन्तिम रूप दिये गये समस्त 50 लेखाओं को सांविधिक लेखापरीक्षा से अहर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुये थे। जिसमें लेखाकरण

मानकों का पालन न करने के 68 उदाहरण थे। कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उनके कमजोर क्षेत्रों की ओर भी इंगित किया गया था ।

लेखाओं के बकाया तथा समापन

सितम्बर 2012 तक 26 कार्यशील उपक्रमों के 63 लेखे बकाया थे । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों हेतु लक्ष्य निर्धारित करके बकाया समाप्त करने की आवश्यकता है। प्रदेश में 09 अकार्यशील कम्पनियां हैं।

(अध्याय-1)

सरकारी कंपनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में विद्युत पारेषण एवं ग्रिड संचालन का प्रबंधन और नियंत्रण मध्य प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा किया जाता है जो कि कुशल, पर्याप्त एवं समन्वित ग्रिड प्रबंधन तथा विद्युत पारेषण करने के लिए अधिदिष्ट है। कंपनी अधिनियम 1956, के अंतर्गत कंपनी का निगमन नवंबर 2001 में हुआ।

कंपनी द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान 33,710 मिलियन यूनिट (एम.यू.) विद्युत पारेषित की गई जो कि 2011-12 में बढ़कर 40,692 एम.यू. हो गई। कंपनी का पारेषण तंत्र 31 मार्च 2012 को

27,060.67 सर्किट किलोमीटर (सी.के.एम.) और 247 अति उच्च दाब उपकेन्द्र जिनकी स्थापित क्षमता 35,544 मेगावाट एम्पीयर (एम.व्ही.ए.) थी, जो कि वार्षिक 40,692 एम.यू. पारेषण करने में सक्षम थे। 31 मार्च 2012 को कंपनी में 5365 कर्मचारी कार्यरत थे।

नियोजन एवं विकास

केन्द्रीय पारेषण इकाई (सी.टी.यू.) और राज्य पारेषण इकाईयों (एस.टी.यू.) के पास सभी संबंधित एजेन्सियों में समन्वय के साथ राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित तंत्र के नियोजन और विकास का उत्तरदायित्व है।

68 अति उच्च दाब वाले उपकेन्द्रों के निर्माण, 11,036 एम.व्ही.ए. की परिवर्तन क्षमता में वृद्धि एवं 6914.88 सर्किट किलोमीटर लाईन बिछाने के लक्ष्य के विरुद्ध कंपनी ने 49 अति उच्च दाब 10,693.50 एम.व्ही.ए. परिवर्तन क्षमता स्थापित की और 6172.54 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाईने बिछाई।

उपकेन्द्रों एवं लाईनों का निर्माण

कंपनी द्वारा अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं पारेषण लाईनों के इरेक्शन एवं कमीशनिंग का कार्य चलाया गया। वर्ष 2007-12 के दौरान पूर्ण हुये कार्य की नमूना लेखापरीक्षा से पता चला कि चार माह से 40 माह के लिए काम को पूरा होने में देरी के कई उदाहरण थे जिसका

कंपनी के भौतिक और वित्तीय उद्देश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

अपर्याप्त मांग के चलते पवई अति उच्च दाब उपकेन्द्र एवं 132 के.व्ही. लाईन ₹ 15.29 करोड़ से निर्मित अनुपयोगी बनी रही। सतना-छतरपुर लाईन के पूर्ण होने में देरी के कारण ₹ 12.37 करोड़ की कीमत से बना छतरपुर का अति उच्च दाब उपकेन्द्र 11 माह से भी ज्यादा अनुपयोगी पड़ा रहा।

अति उच्च दाब उपकेन्द्र सागर से संबंधित लाईनों के पहले निर्माण हो जाने के कारण ₹ 6.57 करोड़ की लागत से बनी लाईने 11 से 17 माह तक व्यर्थ पड़ी रही।

परिसंविदा प्रबंधन

कंपनी ने 315 एम.व्ही.ए. वाले विद्युत ट्रांसफॉर्मर एवं उसकी सहायक सामग्री को खरीदने में फोर्स मेजर क्लोज लगाया जिससे आपूर्तिकर्ता को लाभ हुआ और कंपनी को तरल नुकसान के कारण ₹ 24.13 लाख कम वसूल हुये।

70 के.एन. और 90 के.एन. के डिस्क इन्सूलेटर को खरीदने के आदेश में जोखिम और लागत उपवाक्य के संचालन में कंपनी असफल रही जिससे फेल हुए इन्सूलेटर को बदलने में लगा अतिरिक्त ₹ 36.46 लाख कम वसूला गया।

पारेषण व्यवस्था का प्रदर्शन

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक कंपनी के पास उच्चतम माँग पर अतिरिक्त क्षमता परिवर्तन था। (220 के.व्ही.) जिसकी रेंज 318 एम.व्ही.ए. से 2985 एम.व्ही.ए. थी और आगे आठ 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के पास अनुमति की क्षमता से अधिक क्षमता थी जिसकी कीमत ₹ 48.75 करोड़ थी। 51 अति उच्च दाब सबस्टेशन के पास मात्र एक ट्रान्सफॉर्मर था जबकी वहाँ दो होने चाहिए थे। कंपनी को अभी तक 220 के.व्ही. के 55 अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में से 38 उपकेन्द्रों में बसबार प्रोटेक्शन पेनल लगाना है। कंपनी ने पारेषण नुकसान को कम करने के लिए किसी भी वित्तीय जवाबदेही के बिना एक नवीन अवधारणा को विकसित किया है।

ग्रिड प्रबंधन

220 के.व्ही. और उससे कम क्षमता वाले 242 उपकेन्द्रों में से 46 में ही रिमोट टर्मिनल इकाई स्थापित की गई है। कंपनी में 211 मौकों पर बैंकिंग डाउन निर्देश जारी किये, जिसका सभी उत्पादकों द्वारा पालन किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी की कर पूर्व हानि प्रतिशत 92.24 से कम हुआ। वर्ष 2007-08 में 39.94 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 3.10 करोड़ हो गया है। कंपनी ने विद्युत प्रदाय उपलब्धता प्रभार का दावा विद्युत वितरण कंपनी से करने में देरी

!" # \$ # % &'
 (\$) * +
 , - . 0)
 / 1 + * + 2 3 * 4
 6 (1 + * 7 1
 8 9 :6 * 4
 6 * 4
 * + ; < (4 =
 !88 . ! > +
 # + * #'
 # ? * * + @ A
 3 7 B
 5 * + C CD *
 # ! ' = 3 ; C E
 1 ? " +
 5 3 : ')
 * F . G
 . F \$
 ; ; D * ? * ; C ;
 ! > + * + CH * + 6
 = 3 F
 F % &' *
 (8) * + * = # 1
 2 3 * 4 * 5 6
 (1 + * 7 1

हम अनुशंसा करते हैं कि कंपनी अति उच्च दाब वाले उपकेन्द्रों के निर्माण में देरी के कारणों का विश्लेषण करें और वैकल्पिक तरीकों की तलाश करें जिससे कि कार्य तय समय सीमा के अन्दर हो सके। अनुबंध में प्रावधानों के तहत तरल क्षति को वसूला जा सके। सभी अति उच्च दाब उपकेन्द्रों पर आर.टी.यू. स्थापित करें, ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन के अवसरों को कम से कम किया जा सकें और अप्रचलित भंडार की सूची बना कर विद्युत वितरण कंपनी में प्रसारित करें ताकि उनका यथा सम्भव उपयोग हो सके।

(अध्याय-2)

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्षों का कार्यकारी सारांश निम्नानुसार है।

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना (मई 1978) में मध्य प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में, राज्य में पर्यटन के विकास के लिये किया गया था। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा पर्यटन नीति तथा मध्य प्रदेश सरकार से निष्पादित समझौता ज्ञापन में निहित उद्देश्य को मितव्ययिता प्रभावशाली तथा कुशलता पूर्वक मूल्यांकन जाँचने हेतु किया गया।

राज्य पर्यटन नीतियां एवं मध्य प्रदेश सरकार से समझौता ज्ञापन

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1995 की पर्यटन नीति में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा पर्यटन के संतुलित एवं सम्पूर्ण विकास के लिये नई पर्यटन नीति अक्टूबर 2010 में निर्मित की गयी। कंपनी ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना तैयार नहीं की और पर्यटन के विकास के लिये संयुक्त उद्यमों के माध्यम से निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने में असफल रही। पर्यटक आगमन वर्ष 2007-08 में ₹ 141.28 लाख से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 443.89 लाख हो गया। (वृद्धि 214.19 प्रतिशत) जो कि पर्यटन आगमन के आँकड़ों में नये केन्द्र को शामिल करने के कारण था। आगे यह भी कि कंपनी के लेखों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण मध्य प्रदेश सरकार से निष्पादित समझौता ज्ञापन में कंपनी ने लाभ के प्रावधिक आँकड़े प्रतिवेदित किये।

ईकाईयों का चालन निष्पादन

कंपनी के पास पर्यटकों की शिकायतों को जानने की कार्यप्रणाली थी तथा होटल/रेस्टोरेन्ट में साफ सफाई आदि की समुचित व्यवस्था थी। भोपाल-इन्दौर मार्ग पर चलने वाली बसों का निष्पादन संतोषजनक था। कंपनी की ईकाईयां, कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये चालन अनुपात प्राप्त करने में असमर्थ रही। वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान चालन

अनुपात का लक्ष्य 56 से 65.75 प्रतिशत था जबकि वास्तविक चालन अनुपात 66 और 73 प्रतिशत के मध्य रहा। वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान औसत आक्युपेंसी 44 तथा 48 प्रतिशत के बीच रही, जो कि अखिल भारतीय औसत आक्युपेंसी की सीमा 59.90 से 69.4 प्रतिशत से कम थी। कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान 9 होटलों की टैरिफ दरों में 27 से 102 प्रतिशत की वृद्धि की, यह वृद्धि उक्त होटलों की कम आक्युपेंसी (15 से 44 प्रतिशत के बीच) को ध्यान में रखकर नहीं की गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप पाँच होटलों की आक्युपेंसी में कमी हुई तथा शेष चार होटलों की आक्युपेंसी में नाममात्र वृद्धि हुई। कंपनी की 32 ईकाईयां न तो चालन अनुपात, लक्षित स्तर पर रख सकी और न ही निर्धारित खाद्यान्न सीमा को मेन्टेन कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.81 करोड़ की खाद्यान्न लागत अधिक रही। कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान 13 ईकाईयों को लीजिंग/निजीकरण हेतु पहचान की, किन्तु दिसम्बर 2012 तक केवल चार ईकाईयां लीज पर दी जा सकी। कंपनी को भूमि के अल्प मूल्यांकन के कारण ₹ 4.56 करोड़ की हानि हुई।

विपणन

कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में प्रचार तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु राज्य सरकार तथा वित्त आयोग से ₹ 76.95 करोड़ प्राप्त किये तथा ₹ 78.07 करोड़ खर्च किए। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दिये गये विज्ञापनों पर, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजियुवल पब्लिसिटी (डीएव्हीपी) द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर भुगतान किया तथा डीएव्हीपी दरों पर विज्ञापन देने से असफल रही।

वित्तीय प्रबंधन

कंपनी ने वर्ष 2007-08 में ₹ 58.54 करोड़ की आय के विरुद्ध ₹ 1.67 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो वर्ष 2010-11 में ₹ 87.41 करोड़ की आय के विरुद्ध, घटकर ₹ 0.65 करोड़ रह गया। कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान स्थायी जमा में रखे गये अव्ययतीत अनुदान के ब्याज ₹ 18.80 करोड़ की स्वयं की आय दिखाया। कंपनी द्वारा विविध देनदारी की वसूली की प्रगति उल्लेखनीय नहीं थी। कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 248.94 करोड़ अनुदान के रूप में भारत सरकार, 12 वॉ वित्त आयोग तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त किये। वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में उपलब्ध अनुदानों की उपयोगिता का प्रतिशत 42.52 से 56.32 प्रतिशत के

मध्य रहा। कंपनी ने अनुदान खर्च किये बिना ₹ 3.12 करोड़ वित्त आयोग की 10 योजनाओं में, ₹ 4.90 करोड़ भारत सरकार की सात योजनाओं में तथा ₹ 0.93 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार की चार योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये। साथ ही वित्त आयोग की पाँच योजनाओं में ₹ 1.53 करोड़ तथा भारत सरकार की तीन योजनाओं में ₹ 0.72 करोड़ का विचलन किया।

कंपनी ने भारत सरकार की 13 योजनाओं में ₹ 21.36 करोड़ समर्पित न करते हुए अनुदान शर्तों का उल्लंघन किया।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का क्रियान्वयन

कंपनी ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ₹ 24.59 लाख का व्यय परियोजना प्रबंधन, होटल प्रबंधन तथा वित्त एवं पेट्रोल प्रबंधन हेतु विकासशील सॉफ्टवेयर पर किया किन्तु इन सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं करा सकी (दिसंबर 2012)।

जनशक्ति प्रबंधन

कंपनी के पास 2287 कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध, 1909 कर्मचारी उपलब्ध थे (662 नियमित तथा 1247 ऐजेन्सी कर्मचारी) अतः 378 कर्मचारी कम थे।

निगरानी, आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक अंर्कक्षण

कंपनी द्वारा संचालन मंडल के समक्ष वार्षिक चालन योजना, राजस्व बजट, पूर्वीगत बजट, राज्य सरकार के साथ

निष्कर्ष एवं अनुशांसाएं

समझौता ज्ञापन, तिमाही परिचालन परिणाम आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी साथ ही समयावधि में संपत्तियों स्टॉक, रोकड़, स्टोर्स आदि के भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया। कंपनी के पास अपने व्यवसाय के समरूप तथा प्रकृति के अनुसार आंतरिक अंकेक्षण की प्रभावी प्रणाली का आभाव था।

कंपनी ने पर्यटन निधियों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कोई योजना नहीं बनाई तथा नई ईकाईयों तथा हानि दर्शाने वाली ईकाईयों की निजी क्षेत्र में, लीजिंग करने में असफल रही। आक्युपेंसी की दर अखिल भारतीय औसत से बहुत कम रही। प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा पर्यटन संवर्धन हेतु कोई विपणन नीति नहीं बनाई। कंपनी लेखाओं के शीघ्र अंतिमीकरण तथा विविध देनदारी के विवेकपूर्ण प्रबंधन में वित्तीय दूरदर्शिता लाने में असफल रही। कंपनी भारत सरकार/मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त अनुदानों में स्वीकृत की शर्तों पर अमल करने में असमर्थ रही। कारपोरेट प्रबंधन को अपनाने में कमी रही तथा आंतरिक अंकेक्षण अपर्याप्त था।

हम अनुशांसा करते हैं कि कंपनी पर्यटन नीति के परिप्रेक्ष में अपनी क्रियाओं को परिभाषित करते हुए एक कारपोरेट प्लान

बनाये, आक्युपेंसी मानक वैज्ञानिक रूप से निर्धारित करे, समय पर लेखाओं की पूर्णता सुनिश्चित कर, वित्तीय प्रबंधन में सुधार करें, अनुदानों की शर्तों पर अमल करते हुए उनका सही उपयोग करें, आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक अंकेक्षण को मजबूत करते हुए कारपोरेट प्रबंधन को मजबूत करें।

(अध्याय-2)

लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन देन लेखापरीक्षा टिप्पणियां मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में कमियाँ और संबंधित गंभीर वित्तीय जटिलता दर्शाती है। उल्लेखित अनियमिततायें सामान्यतः निम्नांकित प्रकृति की है।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन न किये जाने के कारण दो प्रकरणों में ₹ 4.18 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 3.3 एवं 3.5)

अकुशल/त्रुटिपूर्ण योजना के कारण एक प्रकरण में ₹ 3.03 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.1)

संगठन के वित्तीय हितों की रक्षा न किए जाने के कारण चार प्रकरणों में ₹ 8.52 करोड़ की हानि।

(कंडिकाए 3.2, 3.4, 3.6, एवं 3.7)

कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :-

आय की परिहार्य हानि

अपने वार्षिक राजस्व के एक प्रतिशत की स्वीकृत सीमा से कम डूबत ऋण का दावा

करने के कारण मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को ₹ 6.99 करोड़ की हानि हुई ।

(कंडिका 3.6)

ब्याज की परिहार्य हानि

नवीन शुरू की गयी इकाईयों के लिए अंतिम टैरिफ याचिका दायर करने में देरी के कारण मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड को ₹ 3.14 करोड़ की हानि हुई ।

(कंडिका 3.3)

आय की हानि

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) के मूल्यांकन के आधार पर मूल्य पुनरीक्षण करने में विफलता के कारण मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को ₹ 77.68 लाख की हानि हुई ।

(कंडिका 3.7)

उत्पाद शुल्क पर परिहार्य व्यय

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निविदा को अंतिम रूप देने में विफलता के कारण मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने ₹ 30.70 लाख का परिहार्य भुगतान किया ।

(कंडिका 3.2)

(अध्याय 3) I

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या - 3

इस प्रतिवेदन को चार अध्यायों में बनाया गया है। आरंभिक अध्याय लेखापरीक्षित इकाईयों की रूप रेखा, लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रियाओं को बताता है। अन्य तीन अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा, थीमेटिक अध्ययनों, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की विभाग केंद्रित लेखापरीक्षा व लेन देन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को समाहित करते हैं।

निष्पादन लेखा परीक्षा

मध्य प्रदेश में सड़को का विकास

सी. आर. एफ. के अंतर्गत स्वीकृत 152 कार्यों एवं नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत 510 कार्यों के विरुद्ध, विभाग सी.आर.एफ. के केवल 42 कार्यों एवं नाबार्ड के अंतर्गत 169 कार्यों को पूर्ण कर सका, यद्यपि कोई वित्तीय बाधा नहीं थी। अतः सी.आर.एफ./ नाबार्ड के अंतर्गत आयोजित कनेक्टिविटी की उपलब्धि में वृहद कमी थी।

भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क एवं परिवहन विभाग) ने 2001 एवं 2012 के मध्य ₹ 2,224.78 करोड़ की लागत पर मध्य प्रदेश में मुख्य जिला सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं उन्नयन के 298 निर्माण कार्य अनुमोदित किये थे, जिनमें से 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 1653.67 करोड़ लागत के 152 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे। मध्य प्रदेश शासन ने, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ऋण सहायता से 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 1,499.00 करोड़ लागत पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा उन्नयन के 510 निर्माण कार्य अनुमोदित किये थे। शासन ने योजना एवं गैर योजना शीर्षों के अंतर्गत राजकीय बजट प्रावधानों के माध्यम से सड़कों के विकास एवं

अनुरक्षण का कार्य भी प्रारंभ किया था जिस पर समीक्षा अवधि के दौरान ₹ 1,109.86 करोड़ का व्यय किया गया था। 2007-08 और 2011-12 के मध्य केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) के अंतर्गत 42 निर्माण कार्य तथा नाबार्ड के अंतर्गत 169 निर्माण कार्य वास्तविक रूप से पूर्ण हुये थे। यद्यपि कोई वित्तीय बाधा नहीं थी। सी.आर.एफ./नाबार्ड योजनाओं के अंतर्गत योजनाबद्ध सड़कों के जुड़ाव कार्यों से संबंधित उपलब्धियों में भारी गिरावट देखी गई। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई प्रमुख कमियाँ निम्न रूप से उल्लेखित है :

- ₹ 12.34 करोड़. की केन्द्रीय सड़क निधि के दुरुपयोग के दृष्टांत थे ।

(कण्डिका 2.1.6.1 तथा 2.1.13.4)

- केन्द्रीय सड़क निधि/नाबार्ड के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की पूर्णता में असाधारण विलम्ब हुये थे। सड़कों के समय पूर्व उन्नयन एवं वन विभाग से अनुमति के बिना निर्माण कार्य सौंपे जाने के परिमाणस्वरूप ₹ 15.19 करोड़. का अपव्यय/निष्फल व्यय हुआ तथा ₹ 5.69 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई ।

(कण्डिका 2.1.8.1 तथा 2.1.8.2)

- सुदृढीकरण के कार्य का नवीनीकरण के रूप में गलत वर्गीकरण किये जाने से ₹ 2.30 करोड़ की अतिरिक्त लागत के साथ ही वित्त विभाग के आदेशों का उल्लंघन हुआ ।

(कण्डिका 2.1.9.2)

- वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यू.बी.एम.) पर सरफेस ड्रेजिंग के अनुचित प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई ।

(कण्डिका 2.1.9.3)

- निर्णीत हर्जाने के कम आरोपण, मूल्य परिवर्तन के अपात्र भुगतान तथा शासन को ₹ 25.37 करोड़ की हानि के दृष्टांत ध्यान में आये थे ।

(कण्डिका 2.1.10.1, 2.1.10.2 तथा 2.1.10.3)

- गतिशीलन अग्रिम की कम वसूली, अदेय वित्तीय सहायता एवं प्रतिभूति अग्रिम की अनियमित स्वीकृति के उदाहरण थे।

(कण्डिका 2.1.10.4 तथा 2.1.10.5)

- सड़क निर्माण कार्यों पर किया गया ₹ 109.54 करोड़ का व्यय, विलंब एवं निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण निष्फल रहने के अतिरिक्त ऋण पर ₹ 20.39 करोड़ का ब्याज दायित्व हुआ ।

(कण्डिका 2.1.10.7)

थीमेटिक अध्ययन

वैनगंगा बेसिन में लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक जल संसाधन विभाग का वैनगंगा बेसिन 778 लघु सिंचाई योजना के माध्यम से 1.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित कर चुका है। बेसिन 8 जिलों नामतः बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी व 12 जल संसाधन संभागों से मिलकर बना है ।

लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आई प्रमुख कमियाँ निम्न रूप से उल्लेखित हैं :

- लघु सिंचाई (एम.आई.) योजनाओं के निर्माण में अपर्याप्त सर्वे व जांच के परिणामस्वरूप दो एम.आई. योजनाओं के कमान क्षेत्र परस्परव्यापी हो गये व तीन एम.आई. योजनाएं अकार्यशील हो गये/परित्याग करना पड़ा। ₹ 8.83 करोड़ का व्यय व्यापक रूप से निष्फल हुआ।

(कंडिका 2.2.3.1 एवं 2.2.3.2)

- भूमि का अधिग्रहण न होने /विलंब से अधिग्रहण होने से ₹ 16.89 करोड़ का व्यय निष्फल होते हुए 13 लघु सिंचाई योजनाएं अपूर्ण रही।

(कंडिका 2.2.3.3)

- 26 लघु सिंचाई योजनाओं में प्रशासनिक अनुमोदन से ₹ 29.34 करोड़ का अधिक व्यय किया गया। तथापि, नया संशोधित ए.ए. प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिका 2.2.5.1)

- 50 अनुबंधों से निष्पादन प्रतिभूति शर्त को अनियमित रूप से निकालने से ₹ 3.72 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.2.5.2)

- असंतुलित मदों के लिए, जिनकी दरें प्राक्कलित दरों से गैर आनुपातिक रूप से ऊंची थी, ₹ 3.87 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा जमा की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 2.2.5.3)

- स्पिल चैनल में मितव्ययता का अनुपालन न करने के कारण स्पिल चैनल में खुदाई की मात्रा बढ़ गई थी जिससे ₹ 2.32 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.5.5)

- ₹ 12.96 करोड़ मूल्य के संधारण कार्य, डब्लू.यू.ए. के स्थान पर सीधे विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप डब्लू.यू.ए., लघु सिंचाई योजनाओं में सहभागिता से वंचित रही।

(कंडिका 2.2.5.10)

- नहरों के पुनः प्रतिरूपण व नहरों की दक्षता पर निगरानी के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन न होने के परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता का कम उपयोग हुआ।

(कंडिका 2.2.6.1)

- संभाग स्तर पर लघु सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण अपर्याप्त था। चार संभागों की 290 योजनाओं में से केवल 28 योजनाओं का निरीक्षण किया गया।

(कंडिका 2.2.6.2)

रानी अवन्ति बाई लोधी सागर परियोजना का वितरण नेटवर्क

एल.बी.सी. के माध्यम से 1.57 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1.23 लाख हेक्टेयर सृजित की गई।

रानी अवन्ति बाई लोधी सागर (आर ए बी एल एस) परियोजना बाँयी तट नहर के द्वारा 1.57 लाख हे. की सिंचाई के उद्देश्य को लेकर शुरू की गई। 135.50 कि.मी. लम्बी बाँयी तट नहर व इसके 1,915.04 कि.मी. वितरण नेटवर्क का निर्माण कार्य ₹ 251.85 करोड़ की लागत पर 1982 में शुरू किया गया जो 1990 तक पूरा किया जाना था। मार्च 2012 तक 1099.66 करोड़ खर्च किये जाने के बाद भी परियोजना अभी तक अधूरी थी। जनवरी 2012 तक 1.57 लाख हे. सिंचाई क्षमता के विरुद्ध 1.23 लाख हे. सिंचाई क्षमता विकसित की गई थी।

लेखा परीक्षा के दौरान ध्यान में आई प्रमुख कमियाँ निम्न रूप से उल्लिखित हैं :

- वर्ष 1992 में प्रदत्त ₹ 309.81 करोड़ की मूल प्रशासकीय स्वीकृति (ए.ए.) के विरुद्ध मार्च 2012 तक कुल व्यय ₹ 1099.66 करोड़ था। पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ए.ए. से अधिक व्यय किया गया।

(कंडिका 2.3.3)

- नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ₹ 576.96 करोड़ में से प्राधिकरण, कार्य को पूरा करने में देरी के कारण केवल ₹ 467.13 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सका।

(कंडिका 2.3.3.1)

- प्राधिकरण ने जनवरी 2012 के अन्त तक लक्षित 1.57 लाख हे. सिंचित क्षमता (आई.पी.) के विरुद्ध 1.23 लाख हे. आई.पी. सृजित की। पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल 11 हजार हे. आई.पी. का सृजन किया गया।

(कंडिका 2.3.4)

- 12 कार्यों के संदर्भ में, निविदाओं को अंतिम रूप देने में विभिन्न स्तरों एवं चरणों पर विलंब के कारण कार्य प्रदाय करने में विलंब हुआ। दांडिक/सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन न होने, सुरक्षा जमाओं की अपर्याप्तता, ठेकेदारों द्वारा कार्यों को अधूरा छोड़े जाने में परिणीत हुई। एल.बी.सी. के निर्माण का कोई भी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं किया गया, देरी की सीमा छः वर्ष तक रही।

(कंडिका 2.3.4.2)

- हरेरी शाखा नहर खराब ड्रेनेज एवं निम्न विशिष्टि कार्य के कारण टूट गई, परिणामस्वरूप ₹ 1.60 करोड़ का व्यय व्यर्थ हुआ। निकासी द्वारा की खराब आयोजना के परिणामस्वरूप 1,791 हे. आई.पी. का सृजन नहीं हुआ व एन.वी.डी.ए. द्वारा वापिस लिए गए शेष कार्य को पूरा करने के लिए ₹ 5.17 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 2.3.4.3)

- मुख्यतः वाटर कोर्स/फील्ड चैनलों की कमी होने से 2007–12 की अवधि के दौरान सृजित आई.पी. का केवल आठ से पच्चीस प्रतिशत ही उपयोग हुआ।

(कंडिका 2.3.5)

- प्रतिभूति जमा के ₹ 1.54 करोड़ की अनियमित वापसी की गई यद्यपि कार्य दोषी ठेकेदार की जोखिम व लागत पर निरस्त किया गया था व ₹ 5.35 करोड़ उससे वसूली योग्य थे।

(कंडिका 2.3.6.1)

- नहर कार्यो के तीन अनुबंधो में भू-अर्जन में विलंब, 25,675 हे. में सिंचाई सुविधा में विलंब के साथ ₹ 4.81 करोड़ मूल्यवृद्धि के परिहार्य भुगतान में परिणीत हुआ।

(कंडिका 2.3.6.3)

विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नर्मदा घाटी विकास विभाग)

दिसम्बर 1979 में दिये गये न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार म.प्र. को नर्मदा का 18.25 एम. ए. एफ. जल प्राप्त होना था। अब तक 9.114 एम. ए.एफ. जल के संग्रहण हेतु 11 बांध एवं इसकी सहायिकायें एवं 3.1565 एम.ए. एफ. पानी के उपयोग हेतु नहर प्रणाली ही पूर्ण की जा सकी है।

दिसंबर 1979 के न्यायाधिकरण के अवार्ड के अनुसार मध्य प्रदेश को 18.25 एम.ए.एफ. नर्मदा का जल प्राप्त होना था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा 2024 में इसकी समीक्षा की जानी है। नर्मदा बेसिन में सिंचाई सुविधाओं के द्रुतगामी विकास के लिए, मध्य प्रदेश शासन ने नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन. व्ही. डी.डी.) की स्थापना की (जुलाई 1981)। जुलाई 1985 में, नर्मदा घाटी की वृहद परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन, नर्मदा घाटी विकास विभाग के एक बहु आयामी नियंत्रण वाले प्राधिकरण (एन.व्ही. डी.ए.) को सौंपा गया। अब तक, नर्मदा एवं उसकी सहायक नदियों पर, 9.114 मिलियन एकड़ फीट पानी के संग्रहण एवं 3.1565 मिलियन एकड़ फीट पानी के उपयोग के लिए नहर प्रणाली हेतु 13 परियोजनाओं के लिए 11 बांधों का निर्माण हो सका था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अवार्ड के अनुसार राज्य की नर्मदा जल के उपयोग हेतु तैयारी पर विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं :

- ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति, पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब एवं पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन आयोजनाएं बनाने में विलंब के कारण नर्मदा जल के उपयोग की आयोजना में देरी थी।

(कंडिका 3.6)

- परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सभी घटकों की पूर्णता में विलंब थे जो लागत बढ़ने एवं बांधों के साथ-साथ नहरों एवं वितरण प्रणालियों की अपूर्णता में परिणीत हुए ।

(कंडिका 3.7)

- निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण न करने, अपूर्ण जानकारी, अपर्याप्त आरेखन, इत्यादि के कारण आरेखन, रूपांकन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की स्वीकृति में विलंब हुआ ।

(कंडिका 3.7.2)

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) को अपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने, पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण/पर्यावरण प्रबंधन आयोजना को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण में विलंब के कारण पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने में विलंब हुआ ।

(कंडिका 3.7.3)

- निविदाएं स्वीकृत करने एवं कार्य आवंटन में देरी से परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब हुआ ।

(कंडिका 3.7.6)

- नहरों के कार्यों का कार्यान्वयन मुख्य रूप से, ठेकेदारों द्वारा धीमी प्रगति, कुछ दूरियों में भूमि अधिग्रहण में देरी, अपर्याप्त प्राक्कलनों एवं एक साथ सभी दूरियों में कार्यान्वयन प्रारंभ करने के स्थान पर अलग-अलग दूरियों के लिए चरणबद्ध रीति से कार्यों के कार्यान्वयन के कारण विलंबित हुआ था।

(कंडिका 3.7.7 (ii))

- आठ टर्न-की ठेकों की, 18 से 36 माह की नियत पूर्णता अवधि पहले ही व्यपगत हो चुकी थी । फिर भी सभी कार्य

अगस्त 2012 की स्थिति में 12 माह से 20 माह तक के विलंब के पश्चात भी अपूर्ण थे ।

(कंडिका 3.7.7 (iii))

- नर्मदा बेसिन के शेष भाग में (अमरकंटक से हंडिया गेज) मध्यम एवं लघु परियोजनाओं (7,10,000 हेक्टेयर के लिए 2.677 मिलियन एकड़ फीट) के सर्वेक्षण कार्य अगस्त 2012 तक आवंटित नहीं किए गए थे ।

(कंडिका 3.8)

- न्यायाधिकरण के अवार्ड की दिनांक से 33 वर्ष से अधिक व्यपगत होने के बाद भी, जून 2012 को समाप्त जल वर्ष के दौरान जल का कुल उपयोग आवंटित भाग के विरुद्ध मात्र 5.51 मिलियन एकड़ फीट था ।

(कंडिका 3.9.1)

- राज्य योजना आयोग द्वारा अधिकतम सीमा के अधिरोपण के पश्चात्, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने शेष परियोजनाओं की पूर्णता के लिए आवश्यक ₹ 1,002 करोड़ के अंतर को पाटने हेतु निधि की व्यवस्था के लिए अब तक आयोजना नहीं बनाई थी ।

(कंडिका 3.10)

लेनदेन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने लेन देन लेखापरीक्षा के दौरान अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागों/संगठनों की सुचारु कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लेखित है :

वन विभाग

- मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए वन विकास उपकरण की ₹ 34.97 करोड़ की राशि को देरी से जमा किया गया जिससे सरकार को ₹ 4.94 करोड़ ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 4.1.1)

- वन विभाग ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन करते हुए तथा केन्द्र सरकार के अनुमोदन के बिना ₹ 2.17 करोड़ इको पर्यटन के संवर्धन पर व्यय किए।

(कंडिका 4.1.3)

- 2007-12 की अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता का उल्लंघन करते हुए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों हेतु बजट में आवंटित राशि आहरित की गई एवं व्यक्तिगत जमा लेखा (पी.डी.ए.) के स्थान पर बैंक खाते में रखी गई। मार्च 2012 तक बैंक खाते में अवरुद्ध अव्ययित शेष राशि ₹ 19.07 करोड़ थी।

(कंडिका 4.1.4)

- भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किये बिना वायरलेस सैट व सहायक उपकरण के प्राप्ति हेतु, डीजीएसएण्डडी को ₹ 1.32 करोड़ का भुगतान किया गया एवं वापिस प्राप्त राशि को शासकीय लेखे में प्रेषण न कर संभागीय वन अधिकारी, विदिशा के वैयक्तिक जमा खाते में रखा गया।

(कंडिका 4.1.5)

नर्मदा घाटी विकास विभाग

- नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.व्ही.डी.ए.) में, नहर प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए टर्न-की संविदा के कार्य से ₹ 48.32 करोड़ की लागत का घटक "ओपन ट्रफ" हटा दिया गया। तथापि, संविदा कीमत घटाने के स्थान पर एन.व्ही.डी.ए. के मुख्य अभियंता ने अनाधिकृत रूप से दो अन्य मदों की घटकों की मात्रा बढ़ा दी, जिससे ₹ 21.15 करोड़ की राशि समायोजित हो गई। ₹ 27.17 करोड़ की शेष राशि भी ठेकेदार को भुगतान कर दी गई है।

(कंडिका 4.1.6)

- एन.व्ही.डी.ए. में, खोदी गई कड़ी चट्टान जिसका चार नहर निर्माण कार्यों में उपयोग किया गया था के लिए ₹ 1.05 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 4.1.7)

- पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना के कार्यान्वयन हेतु एक ठेकेदार को, समय पूर्व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर ₹ 11.68 करोड़ का नकद प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया था। ठेकेदार के विनिर्दिष्ट भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में विफलता एवं निरंतर विलंबित कार्यान्वयन के बावजूद भी ठेकेदार को ₹ 5.84 करोड़ का भुगतान किया गया था।

(कंडिका 4.2.1)

- इंदिरा सागर योजना की नहर प्रणाली निर्माण हेतु पेट्रोल, आईल लुब्रीकेंट व मैटेरियल घटक का गलत अनुपात अपनाने के कारण मूल्य समायोजन के लिए ठेकेदार को ₹ 85.59 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.2.2)

- एन.व्ही.डी.ए. के दो संभागों द्वारा ठेकेदारों से उन मदों के विरुद्ध, जिनके लिये दरें, प्राक्कलनों से गैर आनुपातिक

रूप से अधिक थीं, ₹ 3.56 करोड़ अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती नहीं की गई।

(कंडिका 4.3.1)

- एन.व्ही.डी.ए. द्वारा शासन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना, मूल्य वृद्धि के परिशोधित कारकों को अपनाते हुए, ठेकेदार को ₹ 9.33 करोड़ का मूल्य वृद्धि का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.2)

लोक निर्माण विभाग

- बारहवें वित्त आयोग के अनुदान अंतर्गत 35 कि.मी. सड़क की स्वीकृति व कार्यान्वयन में देरी के कारण कार्य को योजना अवधि की समाप्ति व निधियों की रोक की वजह से बीच में ही छोड़ना पड़ा, परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(कंडिका 4.2.3)

जल संसाधन विभाग

- रीवा जिले में 1628 हे. के कुल कमान क्षेत्र की राजापुर उद्वहन सिंचाई योजना, जिसे 2007 में शुरू किया गया, त्योंथर में दूसरी बड़ी उद्वहन सिंचाई योजना की कमान क्षेत्र के साथ परस्परव्यापी हो गया, जो ₹ 1.63 करोड़ के हेडवर्क के अनुपयोगी कार्यान्वयन में परिणीत हुआ।

(कंडिका 4.2.4)

- जल संसाधन विभाग के तीन संभागों में असंतुलित दरों वाली मदों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा (ए.एस.डी.) जमा के न काटे जाने से, ठेकेदारों को ₹ 8.48 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। अन्य दूसरे दो संभागों में ₹ 43.92 लाख की ए.एस.डी. नहीं काटी गई, जबकि ठेकेदारों ने कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया था।

(कंडिका 4.4.1)

- जल संसाधन विभाग के चार संभागों के सात कार्यों में ठेकेदार द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में देरी के कारण ठेकेदार से ₹ 1.68 करोड़ की परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गई।

(कंडिका 4.4.2)

- मध्य प्रदेश कार्य विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली के प्रावधानों के विरुद्ध अपर्याप्त योजना और नाला क्लोजर कार्य व वेस्ट वियर निर्माण में ताल मेल न होने के कारण ₹ 1.53 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ।

(कंडिका 4.4.4)

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-4**

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चयनित योजनाओं/कार्यक्रमों/विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा/मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा तथा सरकारी विभागों के वित्तीय लेनदेनों से उद्भूत समीक्षाएँ तथा कंडिकाएँ समाविष्ट हैं। इस संक्षेपिका में मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में समावेशित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सार दिया गया है।

विशेषताएं

- राज्य में जेलों में कैदियों को आमद इकाई के अभाव में जेल निवासियों से संगरोध नहीं किया गया। विचाराधीन कैदियों को निर्धारित तिथियों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। केन्द्रीय जेल, सतना में क्षमता से 287 प्रतिशत अधिक कैदियों को रखा गया था। कैदियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यायसंगत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।
- राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार गारंटी निधि की स्थापना नहीं की गई। 13 जिलों में 13.35 लाख से 19.74 लाख अपात्र हितग्राहियों का एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत पंजीयन किया गया। मात्र 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत पंजीकृत परिवारों को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया गया। 2007-12 की अवधि के दौरान अनुसूचित जन-जाति के हितग्राहियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का प्रतिशत 49 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परिप्रेक्ष्य योजना तथा वार्षिक योजनाएँ परिवारिक तथा सुविधा सर्वेक्षण कराए बिना तैयार की गयीं। निधियों का उल्लेखनीय रूप से अल्प उपयोग किया गया

था। गुना जिले में फरवरी 2006 में प्रस्तावित ट्रामा सेंटर स्थापित नहीं किया गया। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा कुल प्रजनन दर के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। मरीजों को दवाएँ उनकी गुणवत्ता जाँच रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही जारी कर दी गयीं।

- संस्कृति विभाग द्वारा कोई सांस्कृतिक नीति नहीं बनायी गयी। विभाग द्वारा कोई मापदण्ड/दरें निर्धारित किये बिना कलाकारों, फिल्मी हस्तियों, पार्श्व गायकों आदि को ₹ 7.19 करोड़ का मानदेय के रूप में भुगतान किया गया। विभाग की गतिविधियों से असंबद्ध एक गतिविधि के लिये बिजली एवं पानी उपलब्ध कराने पर ₹ 1.80 करोड़ का व्यय किया गया। 719 अशासकीय संस्थाओं को उनकी पात्रता सुनिश्चित किये बिना ₹ 3.02 करोड़ का अनुदान दिया गया।
- जिला योजना अधिकारी, पन्ना द्वारा कोषालय से अग्रिम के रूप में अनियमित आहरण एवं रोकड़ पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कर ₹ 2.11 लाख का गबन किया गया।
- प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा ₹ 25.88 करोड़ की शासकीय प्राप्तियों को अनाधिकृत रूप से प्रतिधारित किया गया एवं उनका व्यय के लिये उपयोग किया गया।
- विभाग की निष्क्रियता के कारण राशि ₹ 1.17 करोड़ मैसर्स हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन पर 7 वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थे।

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ

(i) मध्य प्रदेश में जेलों का प्रबंधन

राज्य में जेलों की स्थापना जेल अधिनियम 1894 के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार द्वारा जारी "मॉडल जेल मेनुअल" राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से लागू (फरवरी 2008) किया गया था। 2007-

12 की अवधि समाविष्ट करते हुए 'जेलों का प्रबंधन' की निष्पादन लेखा परीक्षा में निम्नांकित प्रकट हुआ:

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

केन्द्रीय अनुदान को लेखे के राजस्व शीर्ष में जमा किया गया।

जेलों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत रात्रि दृष्टि उपकरणों की स्थापना हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों की राशि ₹ 33.50 लाख का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि यह राशि अग्रिम के रूप में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम को दी गई जो कि इन मदों का अनुमोदित आपूर्तिकर्ता नहीं था। राशि विभाग के राजस्व शीर्ष में अनियमित रूप से जमा की गयी।

कैदियों को संगरोध में नहीं रखा गया।

2007-12 की अवधि में 28 जेलों में आमद इकाई के अभाव में 68,257 कैदियों को संगरोध के अधीन नहीं रखा गया।

बीमार कैदियों को चिकित्सकीय उपचार प्रदान नहीं किया गया।

18 जेलों में वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान 2.27 लाख प्रकरणों जिनमें चिकित्सा अधिकारी द्वारा अस्पताल भेजने हेतु सिफारिश की गई थी, से 1.91 लाख (84 प्रतिशत) कैदियों को पुलिस गार्ड / प्रहरियों के अभाव में अस्पताल नहीं भेजा जा सका।

बड़ी संख्या में जेलों में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध/कार्यरत नहीं थे।

बड़ी संख्या में जेलों में सुरक्षा उपकरण जैसे सी.सी.टी.वी., सायरन, इन्टरकॉम, जनरेटर आदि उपलब्ध नहीं थे तथा उपलब्ध उपकरणों में से अनेक

विचाराधीन कैदियों को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कैदियों को न्यायसंगत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया।

इंदौर में नवीन केन्द्रीय जेल का निर्माण अपूर्ण रहा।

अकार्यशील थे। 2007-12 के दौरान राज्य में जेल से कैदियों के भागने की 91 घटनायें हुईं।

22 नमूना जाँच किए गये जेलों में 2007-08 से 2011-12 की अवधि में कुल विचाराधीन कैदियों के 18 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक विचाराधीन कैदी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

1998 में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद भी जेलों में चलाये जा रहे उद्योगों में कार्यरत कैदियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यायसंगत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरी दरों में अंतिम संशोधन दिसम्बर 2008 में किया गया था।

इन्दौर में नई केन्द्रीय जेल के भवन जिसकी अनुमानित लागत ₹ 33.60 करोड़ थी के निर्माण हेतु कलेक्टर इन्दौर और मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड (म.प्र.हा.बो.) के बीच एक अनुबन्ध अक्टूबर 2002 में किया गया था। कार्य की धीमी प्रगति के कारण जुलाई 2008 में अनुबंध निरस्त किया गया तथा किये गये कार्य हेतु ₹ 8.83 करोड़ का भुगतान म.प्र.हा.बो. को किया गया। जेल में कुल क्षमता से 125 प्रतिशत अधिक कैदी थे।

ii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। तदनुसार मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से मध्य प्रदेश के 18 जिलों में प्रथम चरण में आरंभ की गयी। द्वितीय चरण में 1 अप्रैल 2007 से राज्य के 13 और जिले योजना में सम्मिलित किये गये तथा 1 अप्रैल 2008 से शेष 19 जिले योजना में सम्मिलित किये गये। अक्टूबर 2009 में योजना का पुनर्नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) किया गया। 2007-12 की अवधि हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नांकित प्रकट हुआ:

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य के किसी भी ब्लॉक में पूर्णकालिक पीओ की पदस्थापना नहीं की गई थी।

ग्राम पंचायत एवं अन्य ऐजेंसियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के समन्वय हेतु एक पूर्णकालिक समर्पित कार्यक्रम अधिकारी (पी.ओ.), जो विकास खण्ड अधिकारी (बी.डी.ओ.) के स्तर से नीचे का न हो, की राज्य के 313 ब्लॉक में से किसी में भी पदस्थापना नहीं की गयी थी।

वार्षिक कार्ययोजनाओं का अनुमोदन विलम्ब से किया गया तथा श्रम बजट अवास्तविक थे।

जिलों, ब्लॉक तथा ग्राम पंचायतों द्वारा वार्षिक कार्ययोजनाएँ तैयार करने तथा उसके अनुमोदन में विलम्ब हुआ। जिला स्तर पर 21 माह तक तथा ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर 11 माह तक का विलम्ब हुआ। 2007-12 की अवधि के दौरान तैयार श्रम बजट अवास्तविक थे।

डी पी आर तैयार करने पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

जिला छिन्दवाड़ा के ब्लॉक पाण्डुर्ना में पांच उप योजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर ₹ 24.04 लाख का व्यय किया गया किन्तु उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में से एक भी कार्य का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इस प्रकार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार करने पर किया गया व्यय ₹ 24.04 लाख निष्फल रहा।

बैंक पासबुक के मुद्रण पर ₹ 22.15 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

बैंको द्वारा एम जी एन आर ई जी एस श्रमिकों के खाते बिना किसी प्रभार के खोले जाने थे । तथापि डी पी सी शहडोल द्वारा राशि ₹ 22.15 लाख का अनियमित व्यय कर 1,96,000 पासबुकें प्राइवेट प्रिंटर्स से छपाई गई तथा 11 बैंको को हितग्राहियों को वितरण हेतु सौंपी गयीं।

वर्ष 2003 की बी पी एल सर्वे सूची में सम्मिलित सभी ग्रामीण परिवारों का योजनान्तर्गत पंजीयन कर जाँब कार्ड जारी किये गये।

नमूना जांच किए गए 13 जिलों में 13.35 लाख से 19.74 लाख ग्रामीण परिवार, जिन्होंने पंजीयन हेतु न तो आवेदन किया और न ही वे बी.पी.एल. थे, को 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान योजनातर्गत पंजीकृत कर जाँबकार्ड जारी किए गए। इनमें से केवल 32 से 55 प्रतिशत को रोजगार दिया गया।

कुल पंजीकृत परिवारों में से मात्र 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत ने 100 दिवस

2007-12 के दौरान कुल पंजीकृत परिवारों में से 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये गए परिवार 2.31 प्रतिशत से 12.60 प्रतिशत के मध्य थे तथा प्रति पंजीकृत

का रोजगार प्राप्त किया।

परिवार को एक वित्तीय वर्ष में औसतन 14 दिन से 38 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मजदूरी का विलंब से भुगतान किया गया था।

11 जिलों के 21 डिवीजनों में लाइन विभागों के 2027 मस्टर रोलों की नमूना जांच में पाया गया कि 66,636 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 30 दिन से 360 दिन विलंब से किया गया।

गैर अनुमत्य कार्यों का क्रियान्वयन।

10 नमूना परीक्षित जिलों में 69 गैर अनुमत्य कार्यों जैसे सीमेंट कांक्रीट सड़क, घाट, चबूतरा निर्माण, शमशान घाट में समतलीकरण तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण एवं जैट्रोफा वृक्षारोपण पर ₹ 1.31 करोड़ का व्यय किया गया।

शासकीय विभागों की कार्य पद्धति

(i) मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा. एवं प.क.) की लेखापरीक्षा

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (विभाग) राज्य के लोगों को उपचारात्मक, निवारक तथा संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं एवं परिवार कल्याण सेवाओं की प्रदायगी के लिए उत्तरदायी है। यह राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के परिक्षेत्र, गुणवत्ता तथा सुगमता में सुधार के लिए भी उत्तरदायी है। 2009-12 की अवधि की लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (लो.स्वा. एवं प.क.) की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नांकित प्रकट हुआ:

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निधियों का उल्लेखनीय अल्प उपयोग ।

मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पास वर्ष 2009-10 का अव्ययित शेष राशि ₹ 157.97 करोड़ (₹ 708.79 करोड़ में से), 2011-12 में बढ़कर ₹ 366.96 करोड़ (₹ 997.99 करोड़ में से) हो गया। 2009-12 के दौरान विभाग को अनुपूरक प्रावधान द्वारा तीन अनुदानों के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई निधियाँ राशि ₹ 591.90 करोड़ का परिसीमा तक उपयोग नहीं हुआ जिससे ₹ 499.41 करोड़ की बचत देखी गयीं।

चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत गैर अनुमत्य भुगतान।

नमूना जाँच किये गये 26 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अंतर्गत 210 वेतन निर्धारण प्रकरणों की नमूना जाँच में देखा गया कि चार स्तरीय वेतनमान के अंतर्गत नियुक्ति दिनांक से काल्पनिक आधार पर गणना की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप, 210 कर्मचारियों को राशि ₹ 3.85 करोड़ का गैर अनुमत्य भुगतान अगस्त 2008 से 31 मार्च 2012 के दौरान किया गया।

₹ 62.75 करोड़ के उपयोगिता

नमूना जाँच किये गये 14 आहरण

प्रमाण पत्र स्वास्थ्य संस्थाओं से प्राप्त नहीं किये गये।

एवं संवितरण अधिकारियों में 2009-10 से 2011-12 की अवधि में राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत 6848 प्रकरणों में प्रदाय की गई कुल सहायता राशि ₹ 79.40 करोड़ के विरुद्ध संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं से मात्र 1437 प्रकरणों में राशि ₹ 16.65 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुये।

ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना नहीं हो सकी।

भारत सरकार द्वारा जिला चिकित्सालय, गुना में एक ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना हेतु राशि ₹ 1.50 करोड़ की स्वीकृति (फरवरी 2006) दी गई थी। विभाग द्वारा पद भी स्वीकृत (अक्टूबर 2006) किये गये थे। सिविल कार्य तथा मशीन/उपकरण के उपार्जन पर ₹ 1.06 करोड़ व्यय होने के बावजूद पिछले छः वर्षों में ट्रामा केयर सेन्टर की स्थापना नहीं की जा सकी।

नेत्र क्लीनिकों के विकास के लिये धन का अवरुद्ध रहना।

दिसम्बर 2009 से ₹ 80 लाख की उपलब्धता के पश्चात भी दो चिकित्सा महाविद्यालयों भोपाल एवं रीवा में नेत्र मरीजों के लिये नवम्बर 2012 तक उपकरण क्रय नहीं किये जा सके।

जिला अस्पतालों में नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों (एस.एन.सी.यू.) की स्थापना

चार नमूना जाँच किये गए जिला अस्पतालों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों की स्थापना हेतु

न होना।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये।

औषधियों का देरी से प्रदाय एवं आपूर्तिकर्ताओं से शास्ति की कटौती नहीं करना।

भवन की पूर्णता सुनिश्चित किये बिना ₹ 1.13 करोड़ मूल्य के उपकरण क्रय किये गये।

राज्य शासन द्वारा मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य जो कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक रखे गये थे, कुशल जनशक्ति की अनुपलब्धता और अधोसंरचनात्मक कमी के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके।

नमूना जांच किये गये 36 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में, 1,795 प्रकरणों में 446 दिनों तक की देरी से औषधियां प्रदाय की गईं। आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से ₹ 1.56 करोड़ की राशि दंड के रूप में काटी नहीं गई।

(ii) मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित संस्कृति विभाग की लेखापरीक्षा

राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं और पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों के संरक्षण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा संस्कृति विभाग स्थापित किया गया था। 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि को समाविष्ट करते हुये विभाग की मुख्य नियंत्रण अधिकारी आधारित लेखापरीक्षा में निम्नांकित प्रकट हुआ:

प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सांस्कृतिक नीति न बनाया जाना।

मध्य प्रदेश शासन के कार्यआवंटन नियम के अनुसार विभाग को एक

सांस्कृतिक नीति तैयार करना था किन्तु विभाग एक विस्तृत सांस्कृतिक नीति के बिना कार्य कर रहा था। विभाग द्वारा जनवरी 2012 में सूचित किया गया कि एक विस्तृत सांस्कृतिक नीति को तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।

असमायोजित अस्थाई अग्रिम।

छह कार्यालयों में राशि ₹ 1.33 करोड़ के अस्थाई अग्रिम जो कि वर्ष 1989 से मार्च 2012 तक की अवधि से संबंधित थे, असमायोजित/वसूल नहीं किये गए थे।

मानदेय के भुगतान के लिए कोई दर/मानदंड निर्धारित नहीं किये गए।

विभाग द्वारा 2009-12 के दौरान कलाकारों, गायकों आदि को ₹ 7.19 करोड़ का मानदेय भुगतान बिना मापदंड/दर निर्धारित किये किया गया।

विभाग के उद्देश्यों से असंबंधित गतिविधियों पर व्यय।

₹ 1.80 करोड़ की राशि संस्कृति विभाग ने एक समारोह के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था पर व्यय की, जो कि संस्कृति विभाग के उद्देश्यों और गतिविधियों से संबंधित नहीं था।

अपात्र संगठनों को अनुदान जारी करना।

वर्ष 2009-12 के दौरान 719 अशासकीय और अर्धशासकीय संगठनों को ₹ 3.02 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

जिन्हें संस्कृति संचालनालय द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय संस्थाओं के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

उपयोग न की गयी केन्द्रीय सहायता की राशि बैंक में रखी गयी।

संग्रहालय की स्थापना के लिये केन्द्रीय सहायता की अव्ययित राशि ₹ 94.16 लाख भारत सरकार को वापिस नहीं की गयी तथा ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा रखी गयी।

लेनदेन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

शासकीय धन राशि का गबन।

जिला योजना अधिकारी, पन्ना द्वारा कोषालय से अग्रिम के रूप में अनियमित आहरण एवं रोकड़ पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि कर ₹ 2.11 लाख का गबन किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर ₹ 1.80 लाख विभागीय बैंक खाते में जमा कराये गये।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

शासकीय धन राशि का गबन।

जिला संयोजक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग (जिला संयोजक, आदिवासी कल्याण) पन्ना, के कार्यालय में राशि ₹ 1.50 लाख

का गबन किया गया। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के उपरांत राशि शासकीय लेखे में जमा कर दी गई।

सामाजिक न्याय विभाग

शासकीय धन का गबन/ दुर्विनियोग।

शासकीय नियमों के उल्लंघन एवं आंतरिक नियंत्रण के अभाव के परिणामस्वरूप कार्यालय उप संचालक, सामाजिक न्याय, राजगढ़ में निराश्रित निधि की राशि ₹ 41.79 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

सामान्य प्रशासन विभाग

शासकीय प्राप्तियों का अनाधिकृत प्रतिधारण।

प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा ₹ 25.88 करोड़ की शासकीय प्राप्तियों को अनाधिकृत रूप से प्रतिधारित कर शासकीय लेखों से बाहर रखा गया। संहितागत प्रावधान का उल्लंघन कर राशि व्यय के लिये उपयोग की गई।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

औषधियों का अनियमित क्रय।

अधीक्षक, सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल द्वारा अगस्त 2009 से दिसम्बर 2011 के दौरान भंडार क्रय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना

निविदाएं बुलाये एक आपूर्तिकर्ता से राशि ₹ 3.30 करोड़ की औषधियाँ इत्यादि का अनाधिकृत क्रय किया गया।

भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग

हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन से ₹ 1.17 करोड़ की वसूली में विफलता।

विभाग की निष्क्रियता के कारण मैसर्स हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कार्पोरेशन पर 31 मार्च 2006 को बकाया राशि ₹ 1.17 करोड़ मार्च 2013 तक वसूल नहीं की गयी थी, जबकि लेखापरीक्षा द्वारा दिसम्बर 2010 में यह प्रकरण इंगित किया गया था।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वेतन एवं भत्तों पर अनियमित व्यय।

24 महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिला चिकित्सालय, देवास में अनियमित तरीके से पदस्थ किये जाने के परिणाम स्वरूप उनके वेतन एवं भत्तों पर राशि ₹ 2.46 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। साथ ही ग्रामीण जनता महिला बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं से वंचित रही, जिनके लिए उनकी नियुक्ति हुई थी।